पत्रांक – वि० प्रा० (III) ब[3]–14/2016

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

प्रेषक,

सुशांत झा,
विशेष सचिव

सेवा में,

प्राचार्य,
ब्रजकिशोर ना० सिंह राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज/राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज/राजकीय पोलिटेकनिक, अस्थावाँ।

पटना, दिनांक–.....................

विषय – वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम बजट के 'मुख्यशीर्ष'–2203–तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–105–बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0106– प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम'' विपत्र कोड–43–2203001050106 के अधीन आबंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–535, दिनांक–12.02.19 के द्वारा विभागान्तर्गत **3** (तीन) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान यथा ब्रजकिशोर ना० सिंह, गोपालगंज/ गोपालगंज/अस्थावाँ में छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यक पुस्तक के क्रय हेतु कुल रू० 24,00,000=00 (चौबीस लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तद्नुसार, वित्तीय वर्ष 2018–19 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन 13 01 कार्यालय व्यय विषयशीर्ष में द्वितीय अनुपूरक से उपबंधित राशि से संबंधित संस्थानों को कुल रू० 24,00,000=00 (चौबीस लाख रूपये) मात्र का आवंटन निम्नवत प्रदान किया जाता है:–

विषयशीर्ष	ब्रजकिशोर ना० सिंह राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज	राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज	राजकीय पोलिटेकनिक, अस्थावाँ	कुल आवंटित राशि (रूपये में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
13 01 कार्यालय व्यय	8,00,000	8,00,000	8,00,000	24,00,000
	क	ख	ग	घ

(क) आठ लाख रूपये मात्र (ख) आठ लाख रूपये मात्र (ग) आठ लाख रूपये मात्र (घ) चौबीस लाख रूपये

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561/वि.(2), दिनांक–17.04.1998, पत्रांक–6903 दिनांक–13.09. 2018 एवं पत्रांक–868, दिनांक–10.12.2018 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा–निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे विषेषशीर्षों में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि का व्यय संभावित नहीं हो तो उसे यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर विभाग को वापस लौटा दिया जाय।

4. विभिन्न विषय शीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/ मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि माहालेखाकर, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश / आवंटनादेश तथा विपत्रों में कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग के पूर्व प्रेषित पत्रांक 280 / वि.(2), दिनांक–29.03.2003 में अंकित दिशा–निर्देश का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

6. व्यय विवरणी टी. भी. नं. एवं तिथि सहित प्रत्येक माह के 7 (सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना तथा अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

ह० / –

विशेष सचिव

ज्ञापांक–वि० प्रा० (III) ब^3–14 / 2016 / पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना / महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

विशेष सचिव

ज्ञापांक–वि० प्रा० (III) ब^3–14 / 2016 / पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज एवं बिहारशरीफ (नालंदा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

विशेष सचिव

ज्ञापांक– वि० प्रा० (III) ब^3–14 / 2016 132(अ) **/ पटना, दिनांक –** 8/3/019

प्रतिलिपि–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / उप निदेशक (यो०) / योजना सहायक / आई०टी० मैनेजर (ई–मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) / एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/19

विशेष सचिव

8/3/19

संतोष / 14.02.19